हमारा भौगोलिक विस्तार

32 राष्ट्रीय स्तरीय सदस्य

5 राज्य खंड

130 राज्य स्तरीय सदस्य

हमसे जुड़िए

एआरसी की सदस्यता निम्न संगठनों हेतु मान्य है:

+ जिनकी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों के साथ-साथ परिवार नियोजन और/अथवा जनसंख्या स्थिरीकरण में गहरी रूचि है;
+ जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों; सशक्तिकरण व जनसंख्या आदि मुद्दों पर विशेषज्ञता रखते हों;
+ वे व्यक्ति जो लोगों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को आगे बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

हमसे संपर्क करें

सचिवालय, पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया
011-43894180, info@arccoalition.in
28, क़ुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-16

और अधिक जानकारी के लिए देखें:
www.arccoalition.org

ARC

ऐडवोकेटिंग रिप्रोडक्टिव चॉइसेस

हम एक राष्ट्र स्तरीय नेटवर्क हैं, जिसका ध्येय प्रजनन अधिकारों को सुदृढ़ करना, गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार करना, एवं सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों को उत्प्रेरित करना है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2005 में, गर्भनिरोधकों के विकल्प व उपलब्ध परिवार नियोजन साधनों तक महिलाओं व पुरुषों की पहुँच को बढ़ाने के लिए कुछ सम-विचार व्यक्ति आगे आये व एक नेटवर्क की स्थापना की। उसके बाद से ही यह नेटवर्क -एडवोकेटिंग रिप्रोडक्टिव चॉइसेस (एआरसी), परिवार नियोजन सेवाओं तथा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों हेतु व्यापक रूप से पैरवी करने के लिए विभिन्न संस्था-संगठनों की समेकित शक्ति को जुटाने के लिए प्रयासरत है।

परिवार सेवा संस्था द्वारा इस नेटवर्क का पहला अधिकारिक सचिवालय वर्ष 2005- 2007 तक संचालित किया गया। इसके उपरांत वर्ष 2008 से 2015 तक इसे फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया द्वारा संचालित किया गया। तदुपरांत, वर्ष 2015 से सचिवालय की जिम्मेदारी पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा निभायी जा रही है।

2005
2006
2007
परिवार सेवा संस्था (पीएसएस) (3 वर्ष)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एँफ़पीएआई) (7 वर्ष)

2015
वर्तमान
पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया (पीएफआई)

उपलब्धियां

+ जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गर्भनिरोध के नवीन साधनों को समाविष्ट करने हेतु पैरवी के माध्यम से योगदान;
+ सिविल सोसायटी के केन्द्रीय मुद्दे के रूप में परिवार नियोजन 2020 के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु भारत की प्रतिबद्धता को गति देना;
+ जनसंख्या स्थिरीकरण की रणनीतियों व विधाओं पर, मुख्य हितधारकों के साथ मिलकर पैरवी करने हेतु विभिन्न तथ्य-पत्रकों, लेखों व पत्रों के माध्यम से सामूहिक आवाज़ उठाना।

यद्यपि भारत ने हाल के कुछ वर्षों में प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है , फिर भी वर्तमान परिस्थितियां इस ओर संकेत करती हैं कि गर्भनिरोध व परिवार नियोजन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सतत् विकास व समतापरक वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

13* प्रतिशत

अपूरित मांग

उन महिलाओं/ जोड़ों का अनुपात जो या तो अगली संतान को देरी से जन्म देना चाहते हैं, या अब और कोई संतान नहीं चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

2.2*

कुल प्रजनन दर

प्रति महिला के, उसकी गर्भधारण करने वाली आयु सीमा में, जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या

1.8*

वांछित प्रजनन दर

औसत बच्चों की संख्या जिन्हें एक महिला अपने परिवार में जन्म देना चाहती है

130** मृत्यु

मातृ मृत्यु अनुपात

प्रसव अथवा गर्भधारण संबंधित जटिलताओं के कारण, प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर होने वाली पंजीकृत मातृ मृत्यु संख्या

अवांछित गर्भ, असुरक्षित गर्भपात, और गर्भनिरोध की अपूरित मांग जैसे मसलों के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम, यौन एवं प्रजनन अधिकारों व परिवार नियोजन, संतुलित एवं लिंग संवेदनशील सामाजिक नियमों, अधिकार-आधारित नीतियों, और परिवार नियोजन कार्यक्रम के कुशल प्रतिपादन के प्रति सचेत है।

एआरसी, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों व व्यक्तियों का एक ऐसा नेटवर्क है जोकि भारत में परिवार नियोजन नीतियों को सशक्त करने के लिए, राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर सरकारी व अन्य संस्थाओं के साथ कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।

एआरसी के उद्देश्य

+ परिवार नियोजन में 'गर्भनिरोध का सार्वभौमिक अधिकार' को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने हेतु पैरवी करना;
+ परिवार नियोजन हेतु अधिकार-आधारित, प्रगतिशील नीतियों व रणनीतियों को आगे बढ़ाना;
+ ज्ञान एवं प्रमाणों का सृजन करते हुए इस क्षेत्र में विवेकपूर्ण नेतृत्व प्रदान करना।

* *National Family Health Survey IV (2015-16)* | ** *Sample Registration Survey (2014-16)*

एआरसी गठन

कोर कमेटी सदस्य

एआरसी की कोर कमेटी में प्रतिष्ठित जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं जो अपनी दूरदर्शिता व रणनीतिक सुझावों के साथ एआरसी के पैरवी योग्य मुद्दों को उचित दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये निम्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं:

+ एब्ट एसोसिएट्स इंडिया
+ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया
+ फेडरेशन ऑफ़ ओब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ़ इंडिया
+ इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ पार्लियामेंटेरियंस ओन पापुलेशन एंड डेवलपमेंट
+ जननी
+ परिवार सेवा संस्था
+ पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया
+ पापुलेशन हेल्थ सर्विसेज इंडिया
+ पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल

साधारण सभा सदस्य

ये सदस्य जमीनी स्तर के मुद्दों व कमियों की पहचान करते हैं, व राज्य और राष्ट्र स्तर पर सामूहिक प्रयासों हेतु गति प्रदान करते हैं। वर्तमान में एआरसी 167 व्यक्तियों व संगठनों का नेटवर्क है।

स्टेट चैप्टर

एआरसी पांच राज्यों में कार्यरत है। प्रत्येक राज्य खंड स्थानीय मुद्दों व प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर उनकी पैरवी करता है। ये पांच राज्य निम्नवत हैं:

+ बिहार
+ झारखण्ड
+ राजस्थान
+ उत्तरप्रदेश
+ मध्यप्रदेश

सचिवालय

कोर कमेटी सदस्यों के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए यह राष्ट्रीय सचिवालय उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों, मीडिया, और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ राष्ट्र व राज्य स्तरीय संवाद व पैरवी के विविध अवसरों का उपयोग करता है।